FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0189 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 10/07/2026 12:08 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 25/06/2026 **Date To (दिनांक तक):** 07/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 16:00 बजे **Time To (समय तक):** 10:49 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 10/07/2026 **Time (समय):** 11:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 10/07/2026 12:08:05 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** JAHAZPUR ROAD, DEVLI JILA TONK

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VISHNU SINGH SHAKTAWAT

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KAN SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1973 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	KUCHALWARA KLAN, POST UNCHA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	KUCHALWARA KLAN, POST UNCHA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	BHANWAR SINGH		पिता:NATTHU SINGH	1. SHYAM NAGAR,DEVLI,TONK,RAJASTH

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक विषय- रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाने बाबत्। महोदय, निवेदन है कि मैं विष्णु सिंह शक्तावत पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी कुचलवाडा कला, ग्राम पंचायत उंचा पुलिस थाना हनुमाननगर जिला भीलवाडा का रहने वाला हू। मैंने बी.ए. तक पढाई कर रखी है। ग्राम कुचलवाडा कला ग्राम पंचायत उंचा में मेरे पिताजी व मेरा चाचाजी की 9 बीघा सामलाती पुश्तैनी भूमि है। जिसके बटवारे हेतु मेरे पिताजी ने श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जहाजपुर जिला भीलवाडा में एक वाद दायर किया हुआ था। जिसमें दिनांक 24.03.2026 को मेरे पिताजी के पक्ष में डिक्री के आदेश हो चुके है। माननीय न्यायालय ने डिक्री की पालना हेतु श्रीमान तहसीलदार तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को आदेश दिये है। श्रीमान तहसीलदार तहसील जहाजपुर ने दिनांक 18.06.2026 को पटवारी पटवार हल्का उंचा व भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को न्यायालय निर्णयानुसार डिक्री की पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 23.06.2026 को मैं पटवार घर ग्राम उंचा में जाकर श्री भॅवर सिंह पटवारी पटवार हल्का उंचा से मिला तथा अपने पिताजी के पक्ष में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार डिक्री कर नामान्तरण खोलने हेतु कहां तो पटवारी जी ने कहां कि 20000 रूपये दे दो मैं डिक्री कर नामान्तरण खोल दूंगा। मैने पटवारी जी से कहां कि अब किस बात के 20000 रूपये दू तो श्री भॅवरसिंह जी पटवारी साहब कहने लगे कि बिना 20000 रूपये दिये आपका काम नही होगा। मैने पटवारी जी से कहां कि मेरे पास इतने रूपये नही है इस कारण मैं तुम्हे रूपये नही दे सकता हू तो श्री भॅवरसिंह जी पटवारी साहब ने कहां कि बिना रूपये दिये डिक्री नही होगी तथा नामान्तरण नही खुलेगा। मैं इसमें ऐतराज कर दूंगा। श्री भॅवरसिंह जी पटवारी साहब मेरे जायज काम को करने की एवज में मुझसे 20000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहे है। मैं अपने जायज काम के बदले श्री भॅवरसिंह जी पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को रिश्वत नही देना चाहता हू तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री भॅवरसिंह जी पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा से कोई पुरानी रंजीश व रूपयो पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। प्रार्थी विष्णु सिंह शक्तावत पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी कुचलवाडा कला, ग्राम पंचायत उंचा पुलिस थाना हनुमाननगर जिला भीलवाडा। मोबाईल नम्बर कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक दिनांक 25.06.2026 समय 4 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश मीना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक के समक्ष परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी कुचलवाडा कला, ग्राम पंचायत उंचा पुलिस थाना हनुमाननगर जिला भीलवाडा ने उपस्थित होकर एक हस्तलिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश कि मैं ग्राम कुचलवाडा कला, ग्राम पंचायत उंचा पुलिस थाना हनुमाननगर जिला भीलवाडा का रहने वाला हू। मैंने बी.ए. तक पढाई कर रखी है। ग्राम कुचलवाडा कला ग्राम पंचायत उंचा में मेरे पिताजी व मेरा चाचाजी की 9 बीघा सामलाती पुश्तैनी भूमि है। जिसके बटवारे हेतु मेरे पिताजी ने श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जहाजपुर जिला भीलवाडा में एक वाद दायर किया हुआ था। जिसमें दिनांक 24.03.2026 को मेरे पिताजी के पक्ष में डिक्री के आदेश हो चुके है। माननीय न्यायालय ने डिक्री की पालना हेतु श्रीमान तहसीलदार तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को आदेश दिये है। श्रीमान तहसीलदार तहसील जहाजपुर ने दिनांक 18.06.2026 को पटवारी पटवार हल्का उंचा व भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को न्यायालय निर्णयानुसार डिक्री की पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। दिनांक 23.06.2026 को मैं पटवार घर ग्राम उंचा में जाकर श्री भॅवर सिंह पटवारी पटवार हल्का उंचा से मिला तथा अपने पिताजी के पक्ष में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार डिक्री कर नामान्तरण खोलने हेतु कहां तो पटवारी जी ने कहां कि 20000 रूपये दे दो मैं डिक्री कर नामान्तरण खोल दूंगा। मैने पटवारी जी से कहां कि अब किस बात के 20000 रूपये दू तो श्री भॅवरसिंह जी पटवारी साहब कहने लगे कि बिना 20000 रूपये दिये आपका काम नही होगा। मैने पटवारी जी से कहां कि मेरे पास इतने रूपये नही है इस कारण मैं तुम्हे रूपये नही दे सकता हू तो श्री भॅवरसिंह जी पटवारी साहब ने कहां कि बिना रूपये दिये डिक्री नही होगी तथा नामान्तरण नही खुलेगा। मैं इसमें ऐतराज कर दूंगा। श्री भॅवरसिंह जी पटवारी साहब मेरे जायज काम को करने की एवज में मुझसे 20000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान कर रहे है। मैं अपने जायज काम के बदले श्री भॅवरसिंह जी पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को रिश्वत नही देना

चाहता हू तथा रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो पकडवाना चाहता हू। मेरी श्री भँवरसिंह जी पटवारी पटवार हल्का उॅचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा से कोई पुरानी रंजीश व रूपयो पैसो का लेन-देन बकाया नही है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को को पढकर सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथयों का सही होना व रिपोर्ट अपने द्वारा हस्तलिखित करना तथा रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया तथा अपने आधार कार्ड व श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जहाजपुर जिला भीलवाडा के वाद के निर्णय की व श्रीमान तहसीलदार तहसील जहाजपुर ने दिनांक 18.06.2026 को पटवारी पटवार हल्का उॅचा व भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को न्यायालय निर्णयानुसार डिक्री की पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किये गये पत्र की स्वप्रमाणित फोटोप्रति पेश की। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियाप्त से मामला रिश्वत राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के अन्तर्गत आना प्रथमदृष्टया दृष्टिगोचर होता है। समय 4.45 पी.एम. पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज ही श्री भँवरसिंह जी पटवारी साहब से जाकर मेरे काम की व रिश्वत राशि के सम्बन्ध में वार्ता कर लूंगा। अतः हंसराज कानि. 359 को तलब कर परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया तथा परिवादी व हंसराज कानि. को वॉयस रिकार्डर में वायस दर्ज करने तथा रिकार्डर को चालू व बंद करने की प्रक्रिया समझाईयी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के हंसराज कानि. 359 को सुपुर्द कर समय 5.15 पी.एम. पर परिवादी एवं हंसराज कानि. मय सरकारी वायस रिकार्डर के को वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु ईलाका कुचलवाडा कला रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गई। समय 08.07 पी.एम. पर श्री हंसराज कानि. ने जरिये दूरभाष बताया कि परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत व आरोपी श्री भँवरसिंह जी पटवारी पटवार हल्का उॅचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हो चुकी है। जिसको मेरे द्वारा सुन लिया गया है। आरोपी ने परिवादी से डिक्री करने की एवज में 20000 रूपये राशि की मांग स्वंय के लिये तथा सम्बन्धित गिरदावर के लिये की है। मैने परिवादी से वायस रिकार्डर प्राप्त कर बंद कर अपने पास रख लिया है। परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत से वार्ता करने बताया कि मेरी व श्री भँवरसिंह जी पटवारी पटवार हल्का उॅचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के मध्य वार्ता हो चुकी है। आरोपी द्वारा हमारी जमीन की डिक्री करने की एवज में 20000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग की है तथा मैंने उनको रिश्वत राशि मेरे पिताजी की पेन्शन आने पर दिनांक 29.06.2026 या दिनांक 30.06.2026 को देने हेतु कहा है। हमारी वार्ता आपके वायस रिकार्डर में दर्ज हो गयी है। वायस रिकार्डर मैने श्री हंसराज की कानि. साहब को दे दिया है। अभी काफी रात हो चुकी है इसलिये मैं गॉव ही रूक रहा हू। मैं दिनांक 29.06.2026 या दिनांक 30.06.2026 को रिश्वत राशि 20000 रूपये लेकर आपके कार्यालय पर आ जाउगॉ। समय 10.30 पी.एम. पर हंसराज कानि. 359 मय सरकारी वायस रिकार्डर के उपस्थित कार्यालय आया तथा वायस रिकार्डर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपर्द कर बताया कि मैं व परिवादी दोनो कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 6.20 पी.एम. पर परिवादी के गॉव कुचलवाडा कला पहुचे। परिवादी ने आरोपी भँवरसिंह पटवारी के फोन कर पूछा तो उसने परिवादी के खेत पर ही आने हेतु कहां। जिस पर मैं व परिवादी दोनो परिवादी के खेत से कुछ दूरी पर जाकर रूक गये तथा समय 6.47 पी.एम. पर मैंने निर्देशानुसार वायस रिकार्डर चालू कर परिवादी को सुपर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु आरोपी के पास भेजा था जो करीब 15 मिनट बाद वापस मेरे पास आया तथा वायस रिकार्डर चालू हालात में मुझे पेश किया। वायस रिकार्डर को मैने बंद कर अपने पास रख लिया। परिवादी ने मुझे बताया कि रवाना होकर मैं मेरे खेत पर पहुचा जहाँ भँवरसिंह जी पटवारी साहब मिले। जिनसे मैने अपने काम के सम्बन्ध में वार्ता की तो उन्होने हमारी जमीन की डिक्री करने की एवज में 20000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा 20000 रूपये में सारा काम कर देने हेतु कहां। रिश्वत राशि 20000 रूपये अपने पिताजी की पेन्शन आने पर दिनांक 29.06.2026 या दिनांक 30.06.2026 को देने हेतु कहां है जिस पर वह राजी हो गये है। मैने उपरोक्त हालात आपको जरिये दूरभाष निवेदन कर दिये थे तथा परिवादी की आपसे वार्ता करवा दी थी। आपके निर्देशानुसार परिवादी को गॉव में छोडकर रवाना होकर इस समय कार्यालय हाजा पर उपस्थित हुआ हू। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को सुना गया तो कानि. हंसराज को परिवादी द्वारा बताये कथनो की ताईद हुयी। मजमून रिपोर्ट मे वर्णित तथयों की पुष्टि होना पाया गया, रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया। वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के सुरक्षार्थ कार्यालय आलमारी में रखा गया। दिनांक 06.07.2026 समय 05.35 पी.एम. पर परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत ने जरिये दूरभाष बताया कि दो-तीन दिन से श्री भँवरसिंह जी पटवारी साहब मौजूद नही थे तथा मैं अपने पिताजी की तबियत खराब होने से व्यस्त था। श्री भँवर सिंह जी पटवारी साहब ने मुझे कल सुबह 10 बजे अपने पटवार घर उॅचा में रिश्वति राशि लेकर बुलाया है। मैं कल सुबह आपके कार्यालय पर रिश्वति राशि लेकर उपस्थित आ जाउगॉ। परिवादी को गोपनीयता बयाने रखने की हिदायत देकर दिनांक 07.07.2026 को सुबह 7.30 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पर उपस्थित होने हेतु पांबद किया गया। समय 5 पी.एम पर कल दिनांक 07.07.2026 को ट्रेप कार्यवाही में दो स्वतन्त्र गवाहान की आवश्यकता होने से स्वतंत्र गवाहान पंाबद करने हेतु कार्यालय कोषाधिकारी टोक के नाम तहरीर देकर आसिफ खान

सहायक उप निरीक्षक को रवाना किया गया। समय 5.30 पी.एम. पर आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक फिकराबाला का रवानाशुदा वापस आया व बताया कि कल दिनांक 07.07.2026 को दो स्वतंत्र गवाहान पांबद करने हेतु तहरीर लेकर कार्यालय कोषाधिकारी टोक पहुचा तथा स्वतंत्र गवाहान 1. श्री ओम प्रकाश पुरोहित पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति बाह्लमण उम्र 32 साल निवासी शिवाजीनगर कम्पू टोक हाल कनिष्ठ लेखाकर कार्यालय कोषाधिकारी टोक मोबाईल नम्बर 2. श्री राहुल खण्डेलवाल पुत्र श्री त्रिलोक खण्डेलवाल जाति महाजन उम्र 29 साल निवासी छोटा तख्ता टोक पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक हाल कनिष्ठ लेखाकर कार्यालय कोषाधिकारी टोक मोबाईल नम्बर को दिनांक 03.07.2026 को सुबह 7.30 ए.एम. पर ए.सी.बी. कार्यालय टोक पर उपस्थित होने हेतु पांबद किया गया। गवाहान को पांबद कर रवाना होकर वापस आया। दिनांक 07.07.2026 समय 6.55 ए.एम. पर पूर्व का पांबदशुदा श्री विष्णु सिंह शक्तावत पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी कुचलवाडा कला, ग्राम पंचायत उॅचा पुलिस थाना हनुमाननगर जिला भीलवाडा उपस्थित ए.सी.बी. चौकी टोक आया तथा मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि दिनांक 25.06.2026 को मैं व हंसराज जी कानि. साहब दोनो आपके कार्यालय से रवाना होकर समय करीब 6.20 पी.एम. पर परिवादी के गॉव कुचलवाडा कला पहुॅचे। मैने श्री भॅवरसिंह पटवारी के फोन कर पूछा तो उन्होने मुझे हमारे खेत पर ही आने हेतु कहां। जिस पर मैं व हंसराज जी दोनो मेरे खेत से कुछ दूरी पर जाकर रूक गये तथा समय 6.47 पी.एम. पर श्री हंसराज जी ने वायस रिकार्डर चालू कर मुझे सुपर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु भॅवरसिंह जी पटवारी साहब के पास भेजा था। मैं रवाना होकर मेरे खेत पर मौजूद श्री भॅवरसिंह जी पटवारी साहब से जाकर मिला जिनसे मैने अपने काम के सम्बन्ध में वार्ता की तो उन्होने हमारी जमीन की डिक्री करने की एवज में 20000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की तथा 20000 रूपये में सारा काम कर देने हेतु कहां। मैने रिश्वत राशि 20000 रूपये अपने पिताजी की पेन्शन आने पर दिनांक 29.06.2026 या दिनांक 30.06.2026 को देने हेतु कहां है जिस पर वह राजी हो गये है। फिर मैं अपने खेत से रवाना होकर श्री हंसराज जी के पास आया तथा वायस रिकार्डर चालू हालात में पेश किया। हंसराज ने वायस रिकार्डर बंद कर अपने पास रख लिया। फिर मैने उनको सारी बात बताई। फिर उन्होने वायस रिकार्डर को चालूकर सुना था। फिर उन्होने जरिये दूरभाष आपको सारी बात बताई थी तथा मेरी भी बात आपस करवाई थी। फिर रात्रि अधिक होने से मैं गॉव ही रूक गया था तथा श्री हंसराज जी वायस रिकार्डर लेकर वहां से कार्यालय के लिये रवाना हो गये थे। दो-तीन दिन से श्री भॅवरसिंह जी पटवारी साहब मौजूद नही थे तथा मैं अपने पिताजी की तबियत खराब होने से व्यस्त था। श्री भॅवर सिंह जी पटवारी साहब ने आज 10 बजे अपने पटवार घर उॅचा में रिश्वति राशि लेकर बुलाया है। समय 7.05 ए.एम. पर पूर्व के पांबदशुदा स्वतन्त्र गवाह 1. श्री ओम प्रकाश पुरोहित पुत्र श्री गोविन्द नारायण जाति बाह्लमण उम्र 32 साल निवासी शिवाजीनगर कम्पू टोक हाल कनिष्ठ लेखाकर कार्यालय कोषाधिकारी टोक मोबाईल नम्बर 2. श्री राहुल खण्डेलवाल पुत्र श्री त्रिलोक खण्डेलवाल जाति महाजन उम्र 29 साल निवासी छोटा तख्ता टोक पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक हाल कनिष्ठ लेखाकर कार्यालय कोषाधिकारी टोक मोबाईल नम्बर उपस्थित कार्यालय आये। उक्त दोनो गवाहान को आने के मन्तव्य से अवगत कराया गया। कार्यालय पर उपस्थित परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत से आपस मे परिचय करवाया जाकर परिवादी द्वारा दिनांक 25.06.2026 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया एवं पढाया जाकर दोनो स्वतन्त्र गवाहान के परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करवाये गये। पूर्व में सुरक्षित रखे गये सरकारी वायस रिकार्डर कार्यालय आलमारी से निकलवाकर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को चालुकर मुख्य-मुख्य अंश गवाहान को सुनाया गया। गवाहान ने दर्ज वार्ता को सुनकर रिश्वत राशि का मांग सत्यापन होना बताया। उक्त दोनों गवाहान ने रिपोर्ट को पढ व समझ कर की जाने वाली कार्यवाही में उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति प्रदान की। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता का मेमोरी कार्ड मय वायस रिकार्डर के अपने पास सुरक्षित रखा गया। समय 7.20 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ताओं को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन-सुन कर वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट हंसराज कानि. 359 द्वारा तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता की 3 सी.डी. तैयार करवायी गयी। 2 सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क ए-1, ए-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक सी.डी. को अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखी गई। शील्डशुदा पैकिटो को कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया तथा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के स्वंय के पास सुरक्षित रखा गया। समय 8.20 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय मे उपस्थितशुद्धा परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी कुचलवाडा कला, ग्राम पंचायत उॅचा पुलिस थाना हनुमाननगर जिला भीलवाडा को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 40 नोट कुल राशि 20000 रूपये प्रस्तुत किये। तत्पश्चात् उक्त नोटों के नम्बरों को फर्द में अंकित करवाये जाकर कार्यालय की अलमारी से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी श्रीमति आशा महिला कानि. 369 निकलवाई जाकर टेबल पर अखबार बिछाकर श्रीमति आशा महिला कानि. 369 से ही उक्त नोटों के दोनो तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी विष्णु सिंह

शक्तावत के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब की तलाशी स्वतत्र गवाह श्री राहुल खण्डेलवाल से लिवाई गयी तो उसमें कोई भी वस्तु नहीं होना पाया गया, जिस पर उक्त पाउडर लगी हुयी राशि परिवादी के पहनी हुयी पेन्ट की बायी जेब में श्रीमति आशा महिला कानि. 369 से रखवायी गयी। तत्पश्चात एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर गवाहान एवं परिवादी को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्रीमति आशा महिला कानि. 369 की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि यदि आरोपी रिश्वत राशि को अपने हाथों से ग्रहण करेगा तो उक्त नोटों पर लगा फिनोलफ्थलीन पाउडर उसके हाथों की अंगुलियों पर लग जाएगा और जब उसके हाथों की उंगलियों को उपरोक्तानुसार धुलाई जाएगी तो घोल का रंग गुलाबी हो जाएगा। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपीं ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। उक्त गुलाबी घोल को श्रीमति आशा महिला कानि. 369 से फिकवाया तथा फिनोल्फ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार व डिस्पेाजल गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वती राशि देने से पूर्व या देने के बाद उनसे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए। यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वती राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रर्दशन न करे तथा परिवादी को अपने मोबाईल नम्बर से हंसराज कानि. 359 के मोबाईल नम्बर पर मिस कॉल/मैसेज करने/वार्ता करने तथा अपने सिर पर हाथ घुमाकर रिश्वत लेन-देन होने का ईशारा करने हेतु समझाया गया। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवादी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.10 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्री आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, श्री ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री राजकुमार कानि. 160, श्री जलसिंह कानि. 248, श्रीमति नमिता चौधरी महिला कानि. 316, श्री अजित सिंह कानि. 56, श्री हंसराज कानि. 359, श्री जीतराम कानि. 283 मय परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत मय स्वतंत्र गवाहान श्री राहुल खण्डेलवाल, श्री ओमप्रकाश तथा सरकारी नया मेमारी कार्ड 16 जीबी को सरकारी कैमेरे में डालकर श्री जीतराम कानि. 283 को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानो के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने विडियोग्राफी कर मैमोरी कार्ड पेश करने की हिदायत की गई तथा मय लेपटॉप प्रिन्टर, टे्प बॉक्स मय आवश्यक लेखन सामग्री मय वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के मय प्राईवेट वाहनो के ईलाका देवली रवाना हुआ। चौकी हाजा पर श्रीमति आशा महिला कानि. 369 को छोडा गया। समय 10.35 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा कस्बा देवली पहुचा। जहाँ पर परिवादी ने बताया कि मेरी भँवर सिंह जी पटवारी साहब से बात हो गयी है वह मुझे जहाजपुर रोड अपनी खडी के साथ खडे हुये है। वही पर मुझे बुला रहे है। समय 10.39 ए.एम. पर श्री हंसराज कानि. 359 से रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता हेतु वॉयस रिकार्डर चालू करवाकर परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत को सुपुर्द करा परिवादी को आरोपी के पास जहाजपुर रोड, देवली के लिये रवाना कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता के उसके पीछे-पीछे रवाना हुआ। समय 10.45 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के परिवादी के पीछे-पीछे रवाना होकर जहाजपुर रोड, देवली पहुचा। जहाँ पर परिवादी एक कार के पास रूका तथा उस कार में बैठ गया। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान परिवादी के रिश्वत राशि लेन-देन के निर्धारित ईशारे के इंतजार में अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुये मुकीम हुये। समय 11.30 ए.एम पर परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत पुत्र श्री कान सिंह जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी कुचलवाडा कला, ग्राम पंचायत उ ॅचा पुलिस थाना हनुमाननगर जिला भीलवाडा ने समय 10.49 ए.एम. पर सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत लेन-देन का ईशारा किया जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री ओम प्रकाश पुरोहित, श्री राहुल खण्डेलवाल मय ट्रैप पार्टी के सदस्य, आसिंफ खान सहायक उप निरीक्षक, राजकुमार कानि. 160, जलसिंह कानि. 248, ईश्वर प्रकाश कानि. 256, श्री अजित सिंह कानि. 56, श्रीमती नमिता महिला कानि. नं. 316, श्री हंसराज कानि. नं. 359, श्री जीतराम कानि.नं. 283 मय ट्रैप बाक्स मय कार्यालय लेपटाप मय सरकारी केमरा के परिवादी के पास जहाजपुर रोड पुलिस थाना देवली जिला टोंक के पास पहुचा। परिवादी ने वॉयस रिकॉर्डर चालू हालात में पेश किया जिसे कर बंद अपने पास रखा। परिवादी ने दस मीटर की दूरी पर आम रोड पर खडी एक ईको गाडी आर.जे. 01 सीडी 7547 ईशारा कर कहा कि उसमें भंवर सिंह जी पटवारी साहब है जिन्होंने रिश्वत राशि ले ली है और वो गाडी लेकर जा रहे है। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी को हमराह लेकर करीब 100 मीटर जाकर परिवादी द्वारा बताये गये वाहन को हाथ का ईशारा देकर जहाजपुर रोड, देवली पर रूकवाया तथा साईड में करवाया। जिसमें चालक सीट पर एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय देकर नाम पता पूछा तो अपना नाम भंवर सिंह पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील

जहाजपुर जिला भीलवाडा होना बताया। आम रोड पर काफी भीड एकत्रित हो जाने से संदिग्ध को मय कार के हमराह लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु रवाना होकर समय 11 ए.एम. पर पुलिस थाना देवली के परिसर में पहुंचा। जहॉ पुनः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर हमराह संदिग्ध व्यक्ति से नाम पता पूछा तो तो अपना भंवर सिंह पुत्र नत्थूसिंह जाति राजपूत उम्र 45 साल निवासी ग्राम व पोस्ट गुनाठू पुलिस थाना लोसल जिला सीकर हाल श्याम नगर कॉलोनी, देवली जिला टोक हाल पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा होना बताया। जिससे मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत से रिश्वत राशि प्राप्त करने के संबंध में पूछा तो बताया कि मैंने विष्णु सिंह से कोई रिश्वत राशि नही ली है, इसने जबरदस्ती मेरी गाडी के डेस्क बॉर्ड में रूपये रख दिये है, कितने रूपये रखे है मुझे पता नही है। जिस पर परिवादी ने स्वयं ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि ग्राम कुचलवाडा कला ग्राम पंचायत उॅचा में मेरे पिताजी व मेरा चाचाजी की 9 बीघा सामलाती पुस्तैनी भूमि है। जिसके बटवारे हेतु मेरे पिताजी ने श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जहाजपुर जिला भीलवाडा में एक वाद दायर किया हुआ था। जिसमें दिनांक 24.03.2026 को मेरे पिताजी के पक्ष में डिक्री के आदेश हो चुके है। माननीय न्यायालय ने डिक्री की पालना हेतु श्रीमान तहसीलदार तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को आदेश दिये है। श्रीमान तहसीलदार तहसील जहाजपुर ने दिनांक 18.06.2026 को पटवारी पटवार हल्का उॅचा व भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को न्यायालय निर्णयानुसार डिक्री की पालना कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। श्री भंवर सिंह जी पटवारी साहब मेरे पिताजी के पक्ष में माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार डिक्री करने एवं नामान्तरण खोलने की एवज में 20000 रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान कर रहे थे। जिसकी शिकायत दिनांक 25.06.2026 को मैने आपके कार्यालय पर की थी। आप द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया था। जिसमें भी पटवारी साहब ने मेरे पिताजी के पक्ष में डिक्री करने हेतु 20000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की थी। इनकी मांग के अनुसरण में आज मैं इनसे जहाजपुर रोड देवली पर मिला तो इन्होंने मुझे अपनी कार में बैठा लिया तथा अपनी गाडी का डेस्क बॉक्स खोलकर रिश्वत राशि रखने का ईशारा किया। मैंने इनके कहे/ईशारे के अनुसार रिश्वत राशि 20000 रूपये उनकी गाडी के डेस्क बॉक्स के अंदर रख दिये। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी से पुनः तसल्ली देकर पूछा तो बताया कि आरोपी ने कहां कि फरवरी 2024 से मैं हल्का उॅचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा में पटवारी के पद पर पदस्थपित हू। श्री विष्णु सिंह के पिता कान्ह सिंह व उनके भाईयो के मध्य जमीन के बटवारे को न्यायालय में डिक्री आदेश हो जाने से न्यायालय आदेश की प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु मेरे पास श्रीमान तहसीलदार साहब तहसील जहाजपुर से प्राप्त हुये थे। मैने श्री विष्णु सिंह जी से कहां कि आप नामान्तरण हेतु ऑन लाईन आवेदन करवा लो लेकिन यह कहते कि आप ही आवेदन कर दो। तारीख का पता नही है आज से करीब 10-11 दिन पहले यह मुझे ग्राम कुचलवाडा में एक खेत पर मिले थे तब मैने प्रक्रिया के बारे में बताया था तब इन्होने मुझे आगे से ही रूपये देने हेतु कहां था मैने विष्णु सिंह से कोई रिश्वत की मांग नही की थी। आज भी इसने जबरदस्ती मेरी गाडी की डेस्क बोर्ड में रूपये रख दिये। आरोपी से श्री गणेशराम मीना भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी के लिये रिश्वत राशि लेने के सम्बन्ध में पूछा तो आरोपी ने बताया कि मुझे गणेशराम जी गिरदावर साहब ने कभी विष्णु सिंह से रिश्वत राशि लेने हेतु नही कहां। मुझे बचा लो। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान से परिवादी व आरोपी की मौजूदगी में आरोपी के वाहन संख्या ईको गाडी आर.जे. 01 सीडी 7547 के संबंध में आरोपी से पूछने पर आरोपी ने उक्त वाहन स्वयं का होना बताया। वाहन की तलाशी लिवायी गयी तो आरोपी के कार के डेस्क बॉक्स में एक नोटो की गड्डी मिली जिसे उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री राहूल खण्डेलवाल से उठवाया जाकर स्वतंत्र गवाहान से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20000/-रूपये मिले। जिनका मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। रिश्वति राशि को गवाह श्री राहुल खण्डेलवाल के पास सुरक्षित रखवाया गया तत्पश्चात् मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान के पुलिस थाना देवली जिला टोंक में प्रवेश किया तो श्री महावीर प्रसाद उपनिरीक्षक पुलिस थाना देवली उपस्थित मिले। जिनको अपने आने के मतव्य से अवगत कराकर अग्रिम कार्यवाही हेतु सहमति चाही गयी तो श्री महावीर प्रसाद उपनिरीक्षक ने मौखिक सहमति देने पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। पुनः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी के थाने के बाहर खडी आरोपी के वाहन संख्या आर.जे. 01 सीडी 7547 के पास पहुचा। पुलिस थाना देवली से हंसराज कानिस्टेबल नम्बर 359 से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। तत्पश्चात वाहन के डेस्क बोर्ड में जिस स्थान से रिश्वत राशि बरामद हुई उस स्थान को रूई के पोहे से साफ कर रूई के पोहे को उक्त घोल में डूबाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे हाजरिन ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क सी-1 व सी -2 अंकित करा चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा रूई के पोहे को सुखाकर एक कपडे की थेली में रखकर शील्ड कर मार्क ''सी'' अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात पुनः मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मय हमराही जाप्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी के पुलिस थाना देवली में प्रवेश कर

अग्रिम कार्यवाही शुरू की गयी। मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने गवाह श्री राहुल खण्डेलवाल के पास रखवाई गई रिश्वती राशि 20000/-रूपये को प्राप्त कर उक्त रिश्वती राशि को एक सफेद रंग के लिफाफे में रखकर एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल्ड चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''एन'' अंकित कर कब्जे एसीबी लिये। आरोपी के वाहन संख्या आर.जे. 01 सीडी 7547 को पुलिस थाना देवली पर सुरक्षार्थ खडा करवाया गया। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथो में ग्रहण नही करने के कारण आरोपी की हाथ धुलायी नही करवायी गयी। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री विष्णु सिंह द्वारा पूर्व मे रिश्वत राशि लेन देन की दर्ज वार्ता का सुपुर्दशुदा ड़िजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को दोनो गवाहान एवं परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी श्री विष्णु सिंह व आरोपी भंवर सिंह के मध्य रिश्वत लेनदेन सम्बन्धित वार्ता की ताईद हुई। रिश्वत राशि लेन-देन वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं सीडीया अकब से तैयार करवायी जायेगी।उपरोक्त तथयो एवं परिस्थितियो से पाया कि भंवर सिंह पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग करके अनैतिक लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी के ग्राम कुचलवाडा कला ग्राम पंचायत उॅचा में परिवादी के पिता व चाचा की सामलाती भूमि के बटवारे हेतु श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जहाजपुर जिला भीलवाडा के दिनांक 24.03.2026 के डिक्री करने के आदेश की पालना में परिवादी के पिता के नाम डिक्री करने एवं नामान्तरण खोलने की एवज में दिनांक 25.6.2026 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आरोपी द्वारा परिवादी से 20000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि प्राप्त करने की सहमति दी। आज दिनांक 07.07.2026 को आरोपी की मांग के अनुसरण में परिवादी जहाजपुर रोड देवली पर जाकर आरोपी से मिला तथा आरोपी ने परिवादी को अपनी कार में बैठाकर अपनी गाडी का डेस्क बॉक्स खोलकर परिवादी को रिश्वत राशि रखने का ईशारा किया। परिवादी ने आरोपी के कहे/ईशारे के अनुसार रिश्वत राशि 20000 रूपये उनकी गाडी के डेस्क बॉक्स के अंदर रख दिये। जहॉ से रिश्वति राशि बरामद हुयी। जहॉ से रिश्वति राशि बरामद हुयी उस स्थान को रूई के पोहे से साफ कर रूई के पोहे को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी भंवर सिंह पुत्र श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत उम्र 45 साल निवासी ग्राम व पोस्ट गुनाठू पुलिस थाना लोसल जिला सीकर हाल श्याम नगर कॉलोनी, देवली जिला टोक हाल पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित करना पाया जाता है। आरोपी भंवर सिंह पुत्र श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत उम्र 45 साल निवासी ग्राम व पोस्ट गुनाठू पुलिस थाना लोसल जिला सीकर हाल श्याम नगर कॉलोनी, देवली जिला टोक हाल पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को पृथक से जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाता है। उक्त सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की ऑडियो विडियो रिर्काडिंग कार्यालय के सरकारी कैमरे में मैमोरी कार्ड डालकर श्री जीतराम कानि. 283 से करवाई गई। उक्त कार्यवाही में प्रकाश की उपयुक्त व्यवस्था रही। समय 1 पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी श्री भंवर सिंह पुत्र श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत उम्र 45 साल निवासी ग्राम व पोस्ट गुनाठू पुलिस थाना लोसल जिला सीकर हाल श्याम नगर कॉलोनी, देवली जिला टोक हाल पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा को नियमानुसार जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 2 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा आरोपी भॅवर सिंह पटवारी मय जाप्ता मय जप्तशुदा व शील्डशुदा आर्टीकल व रिश्वत राशि मय ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटाप, प्रिन्टर मय सरकारी कैमरा मय प्राईवेट वाहनो के पुलिस थाना देवली से आरोपी के किराये के निवास स्थान श्याम नगर कॉलोनी, देवली की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। समय 2.15 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी भॅवर सिंह पटवारी मय स्वतंत्र गवाहान फिकराबाला का रवानाशुदा आरोपी के निवास स्थान श्याम नगर कॉलोनी, देवली पर पहुचा। परिवादी को वाहन में बैठ रहने की हिदायत देकर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहान मय आरोपी के आरोपी निवास स्थान की नियमानुसार खाना तलाशी ली जाकर पृथक से खाना तलाशी मुर्तिब की गई। आरोपी से परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेजात के बारे में पूछने पर आरोपी ने परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज अपने कार्यालय पटवार घर उॅचा में होना बताया। जिस पर समय 3 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मय आरोपी के आरोपी के कार्यालय पटवार घर उॅचा के लिए रवाना हुआ। समय 3.15 पी. एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय गिरफ्तारशुदा आरोपी भॅवर सिंह पटवारी मय स्वतंत्र गवाहान फिकराबाला का रवानाशुदा आरोपी के कार्यालय पटवार घर उॅचा पहुचा। जहॉ पर आरोपी ने परिवादी के कार्य से सम्बन्धित दस्तावेज पेश किये। जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। बाद कार्यवाही समय 3.25 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान मय स्वतंत्र गवाहन मय परिवादी मय गिरफ्तारशुदा आरोपी मय जप्तशुदा, शील्डशुदा आर्टिकल्स मय अनुसंधान साम्रगी मय प्राईवेट वाहन के ए.सी.बी. चौकी टोक के लिये रवाना हुआ। समय 4.30 पी.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान जाप्ता मय परिवादी मय गवाहान एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी मय सिल्डशुदा सेम्पल व रिश्वती राशि, जप्तशुदा आर्टिकल आदि के मय प्राईवेट वाहनो के ए.सी.बी. कार्यालय टोक पहुचा। समय 4.40 पी.एम. पर इस समय दिनांक 07.07.2026 को रूबरू परिवादी व आरोपी के मध्य हुई रिश्वत लेन-देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉईस रिकॉर्डर को चालूकर गवाहान व परिवादी के

समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री हंसराज कानि. 359 की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के 3 सीडियो में तैयार करवायी गयी। दो सीडियो को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क बी-1, बी-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 7 पी.एम. पर दिनांक 25.06.2026 को परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत व आरोपी भँवर सिंह पटवारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बन्धित मूल मैमोरी कार्ड 16 जी.बी. Rajdhani कम्पनी को कार्यालय आलमारी से निकलवा गया तथा दिनांक 07.07.2026 को परिवादी श्री विष्णु सिंह शक्तावत व आरोपी भँवर सिंह पटवारी के मध्य रूबरू हुई रिश्वत लेन देन वार्ता हुई से सम्बन्धित मेमोरी कार्डस 16 जी.बी. Rajdhani कम्पनी को कुल 2 नग मैमोरी कार्डस को एक सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क ''एम'' अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धितो के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 7.30 पी.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री जीतराम कानि. 283 से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री जीतराम कानि. 283 ने मौके पर की गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया। श्री जीतराम कानि. 283 की मदद से मैमोरी कार्ड को सरकारी लेपटोप से कनैक्ट कर उक्त विडियो के 3 पेनड्राईव 16-16 जी.बी. PANDANT कम्पनी के तैयार करवाये गये। 2 पेनड्राईव को कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क टी-1, टी-2 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे मे रखा गया। इसी दौराने आसिफ खान सहायक उप निरीक्षक, राजकुमार कानि.160, जीतराम कानि. 283 मय सरकारी वाहन मय चालक गणेश सिंह 375 के चिकित्सा अधिकारी सआदत चिकित्सालय टोक व थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली जिला टोक के नाम तहरीर मुर्तिब कर आरोपी भँवर सिंह पटवारी का राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थय परिक्षण करवा बाद जांच पुलिस थाना कोतवाली में सुरक्षार्थ जमा करवाने हेतु भिजवाया गया था जो आरोपी का स्वास्थय परीक्षण करवाकर बाद स्वास्थय परीक्षण कोतवाली टोक में सुरक्षार्थ जमा करवाकर रसीद प्राप्त कर हाजिर आये। समय 8.45 पी.एम. पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानो के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर विडियोग्राफी करवायी गयी थी। विडियोग्राफी से सम्बन्धित मूल मेमोरी कार्डस 16 जी.बी. Rajdhani कम्पनी के नंग 1 को कंवर में रख कर सफेद कपडे की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क ''एम-1'' अंकित कर सम्बधितो के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द पृथक से तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 9.15 पी.एम. पर जब्तशुदा सिल्डचिट रिश्वती राशि 20000 रूपये मार्क एन सिल्ड चिट शुदा धोवन की 2 शिशियां मार्क सी-1, सी-2 तथा रूई के पोहे का शील्डशुदा पैकिट मार्क ''सी'' शील्डशुदा पैकिट 4 सीडियॉ सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में मार्क ए-1, ए-2, बी-1, बी-2 तथा शील्डशुदा पैकिट मैमोरी कार्ड ''एम'' शील्डशुदा पैकिट 2 पेनड्राईव सफेद पृथक-पृथक कपडे की थैली में रखकर मार्क टी-1, टी-2, शील्डशुदा पैकिट मेमोरी कार्ड मार्क ''एम-1'' अनशिल्ड 150000 रूपये संदिग्ध राशि, एक मोबाईल अनशिल्ड इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री आसिफ खान स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 9.40 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमूना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर पत्थर से तुड़वाई जाकर नष्ट की गई। फर्द नमूना व नाशानी नमूना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.15 पी.एम. पर परिवादी विष्णु सिंह शक्तावत व दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री ओमप्रकाश व श्री राहुल खण्डेलवाल को उचित हिदायत कर कार्यालय से रूखसत किया गया। समय 10.20 पी.एम. पर श्री हंसराज कानि. 359 ने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व रिश्वत लेन देन वार्ता की फर्द ट्रांसक्प्टि बनाने एवं उक्त मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ताओ का सीडियो में तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किSया गया। समय 10.40 पी.एम. पर श्री जीतराम कानि. 283 ने दौराने ट्रेप कार्यवाही बी.एन.एस.एस. के प्रावधानो के अनुसार मौके पर करवायी गई विडियोग्राफी का मेमोरी कार्ड तैयार करने तथा मैमोरी कार्ड से पैनड्राईव तैयार करने के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) के प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया। जो बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। समय 11.15 पी.एम. पर रिश्वत राशि मांग सत्यापन एवं लेन देन वार्ता की ट्रांसक्प्टि, मेमोरी कार्ड, सीडियॉ एवं मौके की विडियोगाफ्री के मैमोरी कार्ड, पैनड्राईव के संबध मे बी.एन.एस.एस. की धारा 63(4)(ग) साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया।   उपरोक्त तथयो एवं परिस्थितियो से पाया कि आरोपी भंवर सिंह पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा द्वारा लोक सेवक होते हुए अपने पद का दुरूपयोग करके अनैतिक लाभ प्राप्त करने के आशय से परिवादी के ग्राम कुचलवाडा कला ग्राम पंचायत उॅचा में परिवादी के पिता व चाचा की सामलाती भूमि के बटवारे हेतु श्रीमान सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जहाजपुर जिला भीलवाडा के दिनांक 24.03.2026 के डिक्री करने के आदेश की पालना में परिवादी के पिता के नाम डिक्री करने एवं नामान्तरण खोलने की एवज में दिनांक 25.6.2026 को दौराने रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता आरोपी द्वारा परिवादी से 20000 रूपये की रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत राशि प्राप्त करने की सहमति दी। आज दिनांक 07.07.2026 को आरोपी की मांग के अनुसरण मंे परिवादी जहाजपुर रोड देवली पर जाकर आरोपी से मिला तथा आरोपी ने परिवादी को अपनी कार में बैठाकर अपनी गाडी का डेस्क

बॉक्स खोलकर परिवादी को रिश्वत राशि रखने का ईशारा किया। परिवादी ने आरोपी के कहे/ईशारे के अनुसार रिश्वत राशि 20000 रूपये उनकी गाडी के डेस्क बॉक्स के अंदर रख दिये। जहॉ से रिश्वति राशि बरामद हुयी। जहॉ से रिश्वति राशि बरामद हुयी उस स्थान को रूई के पोहे से साफ कर रूई के पोहे को तैयारशुदा घोल में डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया। इस प्रकार आरोपी भंवर सिंह पुत्र श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत उम्र 45 साल निवासी ग्राम व पोस्ट गुनाठू पुलिस थाना लोसल जिला सीकर हाल श्याम नगर कॉलोनी, देवली जिला टोक हाल पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का घटित करना पाया गया। अतः उक्त आरोपी भंवर सिंह पुत्र श्री नत्थूसिंह जाति राजपूत उम्र 45 साल निवासी ग्राम व पोस्ट गुनाठू पुलिस थाना लोसल जिला सीकर हाल श्याम नगर कॉलोनी, देवली जिला टोक हाल पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमाकंन सादर प्रेषित है। (ऋषिकेश मीना)अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक.............कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ऋषिकेश मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री भंवर सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह जाति राजपूत उम्र 45 साल निवासी ग्राम व पोस्ट गुनाठू, पुलिस थाना लोसल, जिला सीकर, हाल श्याम नगर कॉलोनी, देवली जिला टोक हाल पटवारी पटवार हल्का उंचा तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती कल्पना बंशीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाडा-प्रथम को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 171 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1132-35 दिनांक 10.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, टोंक 2- जिला कलक्टर, भीलवाडा 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज अजमेर 4- अति. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** kalpana bansiwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 10/07/2026 12:13:30

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)